

अनुमति की शर्तें ।

- 1) अनामक, पुराने के विभाग की स्वीकृति आवश्यक सिद्ध की जाती है ।
- 2) विभाग की सफलता का विचार वैयक्तिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य होने को विचार में विभाग को कोई अवयवकिय नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी व्यक्ति के लिए अवयवकी होगा ।
- 3) अनुमति विभाग कार्य प्रारम्भ करते ही आवश्यक विभाग को सुविधा करवाए ।
- 4) अनुमति प्राप्त के विद्योत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिडकी केवल आकाशीय प्रयोजनाय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 567 दिनांक 20/3/2020

जमीनी नं. नेनारा 510 श्री इरिगकर

से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

प्राय 194 (7) (घ) के तहत आकाशीय

मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण तमि रूपसे 3212/ जमा

प्राप्ति रसीद संख्या 1028/6555, 6560


दिनांक 20/3/2020 को जमा करा दी है ।

20/3/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

पी+1  
आकाशीय

प.नं. 10 = 137 पूर्वांगक शीट  
आकाशीय की दावा

  
किरण सिंह जी  
20/3/20